विक्रय–पत्र (भू–खंड एवं भवन)

संपति का बाजार मूल्य– रूपये––––––––––

चुकाये गये स्टाम्प शुल्क का विवरणः– स्टाम्प शुल्क –रू.––––––––
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क–रू.––––––––
(नगर निगम/नगरपालिका)
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क –रू.––––––––
(जनपद पंचायत)
उपकर –रू.––––––––
योगः– –रू.––––––––

विक्रेताः– श्री/श्रीमती/सुश्री––––––––––––––पुत्र/पुत्री/पत्नि––––––––
उम्र––––––––वर्ष निवासी––––––––––––जाति––––––––
राष्ट्रीयता––––––––––––

या
(जहा दस्तावेज मुख्तार द्वारा निष्पादित हो)

विक्रेताः– श्री/श्रीमती/सुश्री––––––––––––––पुत्र/पुत्री/पत्नि––––––––
उम्र––––––––वर्ष निवासी––––––––––––जाति––––––––
राष्ट्रीयता––––––––––––द्वारा मुख्तार श्री/श्रीमती/सुश्री––––– ––––––––––
पुत्र/पुत्री/पत्नि––––––––उम्र––––––––वर्ष
निवासी––––––––––––जाति––––––––– राष्ट्रीयता––––––––––––

या
(जहां विक्रेता अवयस्क हो)

विक्रेताः– श्री/श्रीमती/सुश्री––––––––––––––पुत्र/पुत्री/पत्नि––––––––
उम्र––––––––वर्ष निवासी––––––––––––जाति––––––––
राष्ट्रीयता––––––––––––द्वारा मुख्तार श्री/श्रीमती/सुश्री––––– ––––––––––
पुत्र/पुत्री/पत्नि––––––––उम्र––––––––वर्ष
निवासी––––––––––––जाति––––––––– राष्ट्रीयता रारतीय, द्वारा
अपने नैसर्गिक संरक्षक पिता/माता या न्यायालय द्वारा अपने आदेश
दिनांक ––––––– द्वारा नियुक्त संरक्षक श्री /श्रीमती/सुश्री––
––––––पुत्र/पत्नि/पुत्री––––––––उम्र–वर्ष निवासी––––––
जाति––––––– राष्ट्रीयता–––––––––

क्रेताः– श्री/श्रीमती/सुश्री––––––––––––––पुत्र/पुत्री/पत्नि––––––––
उम्र––––––––वर्ष निवासी––––––––––––जाति––––––––
राष्ट्रीयता––––––––––––

प्रतिफल की रकम– प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम रूपये ––––– विक्रेता द्वारा क्रेता से निम्नानुसार प्राप्त की गई है अब कुछ भी पाना बाकी नहीं है ।

या

(जहां सम्पूर्ण प्रतिफल रजिस्ट्री से पूर्व नहीं चुकाया गया हो)

प्रतिफल की रकम– प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम रू.––––––– में से आंशिक रू. ––––– क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नानुसार भुगतान कर दिए गए है –
–––––––––––––– शेष रकम रू.–––––––––– का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को रजिस्ट्री दिनांक से ––––––– माह की अवधि में किया जायेगा ।

संपत्ति का विवरण– विक्रीत संपत्ति ग्राम/नगर––––––– तहसील––––––– जिला ––––––– म.प्र. में स्थित है , जिसका विस्तृत ब्यौरा चर्तुसीमा निम्नानुसार है –

(भू–खण्ड की दशा में)

वार्ड/सडक/मोहल्ले का नाम एवं क्रमांक–––––
भू–खंड का क्रमांक––––––
भू–खंड का क्षेत्रफल–––––––
भू–खंड कोने का है अथवा नहीं –––––
भू–खंड का उपयोग–––––––
भू–खंड की मुख्य सडक से दूरी––––––

(भवन की दशा में)

वार्ड/सडक/मोहल्ले का नाम एवं क्रमांक–––––
भवन का क्रमांक/सीट क्रमांक––––––
स्वंतत्र भवन/प्रकोष्ठ (जिल के विवरण सहित)–––
निर्मित क्षेत्रफल–––––––
रिक्त भूमि का क्षेत्रफल–––––––
भवन की मंजिलों की संख्या––––––
हर मंजिल पर निर्मित क्षेत्रफल––––––
कुल निर्मित क्षेत्रफल–––––––
निर्माण का प्रकार–––––––
निर्माण का वर्ष–––––––
मुख्य सडक से दूरी–––––––
भवन का उपयोग ––––––
चर्तुसीमाः– उत्तर––––––––दक्षिण––––––––
पूर्व–––––––––––पश्चिम–––––––

उक्त संपत्ति का मैं विक्रेता एकमात्र मालिक एवं स्वामी हुॅ । संपत्ति मेरी क्रय शुदा मिल्कीयत है जो मेरे द्वारा दिनांक ––––––– को पंजीबद्ध विलेख क्र––––––– दिनांक––––––––– द्वारा श्री /श्रीमती––––– से क्रय की गई थी/वसीयत में प्राप्त हुई थी / वारिस के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसका हक मेरे नाम पर अंकित है, तथा में ही मालिक एवं काबिज चला आ रहा हुॅ अन्य किसी का कोई भी हक या वास्ता या सरोकार आदि नहीं है । अन्तरित की जा रही संपत्ति कहीं भी रहन,बेची,अधिग्रहण या जमानत आदि में नहीं है । हर तरह से पाक व साफ है ।

संपत्ति की बिक्री से मध्यप्रदेश नगर भूमि सीमा अधिनियम अथवा/और भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंधन नहीं होता है । विक्रय की जा रही संपत्ति किसी भी देवस्थान, भूदान या शासकीय पट्टे की नहीं है ।

उक्त संपत्ति को मुझ विक्रेता द्वारा अपने निजी आवश्यकता से क्रेता को सदैव के लिए पूर्ण रूप से विक्रय किया गया है । अब इस पर मैने अपना स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य हमेशा के लिए समाप्त कर लिया है तथा प्रत्यक्ष में मौके पर क्रेता का स्वत्व,स्वामित्व एवं आधिपत्य करा दिया है तथा वे सभी सुखाधिकार जो आज दिनांक तक मुझे प्राप्त थे अब भविष्य में उक्त क्रेता को प्राप्त होंगें तथा वह संपत्ति का जैसा चाहे , वैसा उपयोग , उपभोग , हस्तांतरण , परिवर्तन करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा । भविष्य में मै या मेरे वारिस , उत्तराधिकारी , समनुदेशी या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का दावा , दखल या झगडा करें तो वह शुन्यवत माना जावेगा ।

उक्त भूमि या इसका कोई अंश यदि आज दिनांक से पूर्व में स्वत्व , स्वामित्व या आधिपत्य की त्रुटि के कारण या किसी भी दावेदारी के कारण क्रेता के कब्जें से निकल जाये तो उसकी तमामतर जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वह मेरी अन्य चल एवं अचल संपत्ति से हर्जाने की राशि प्राप्त कर लेवें ।

आज दिनांक ———— को स्वेच्छा से बिना किसी भय,दबाब एवं लालच के यह विक्रय पत्र लिख कर पंजीयन करा दिया ताकि वक्त जरूरत काम आए ।

हस्ताक्षर गवाहानः————

हस्ताक्षर विक्रेता

(1) ————

(2) ———— हस्ताक्षर क्रेता